रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112022-239986 CG-DL-E-02112022-239986

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4873] No. 4873] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2022/कार्तिक 11, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2022/KARTIKA 11, 1944

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2022

का.आ. 5092(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के बड़वानी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-347बी के कि.मी. 0+000 से 34+560 कि.मी. तक (ठीकरी से अंजड़ रोड़) (तहसील-अंजड़ बस-ले) का निर्माण (चौड़ीकरण/चार लेन बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूमि अर्जन अधिकारी राजपुर, जिला बड़वानी, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्त्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

7274 GI/2022 (1)

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

## अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के बड़वानी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-347बी के कि.मी. 0+000 से 34+560 कि.मी. तक (ठीकरी से अंजड़ रोड़) (तहसील-अंजड़ बस-ले) के लिए भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: बड़वानी							
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)				
तालुक का नाम: अंजड़									
गांव का नाम: फत्यापुर									
1	104 / 1	निजी	सिंचित	0.0030000(हेक्टेयर)	0.0030000				
2	107 / 1	निजी	सिंचित	0.0490000(हेक्टेयर)	0.0490000				
3	85 / 1	निजी	सिंचित	0.0390000(हेक्टेयर)	0.0390000				
गांव का नाम: तलवाड़ा डेब									
1	110 / 1	निजी	असिंचित	0.0080000(हेक्टेयर)	0.0080000				
	0.0990								

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/06/2017-18/3A] राजेश गृप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2022

**S.O.** 5092(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/2-Laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of the National Highway No. NH-347B (Thikri to Anjad Road) (Tehsil-Anjad Bus-Lay) in the stretch of land from Km. 0+000 to 34+560 Km. in the District-BARWANI in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Sub-Divisional officer (Revenue) and Land Acquisition officer Rajpur, district Badwani, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, eitherallow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (1) of section 3C of the said Act shall be final, the land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

#### **SCHEDULE**

Brief Description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of Land From Km. 0+000 to 34+560 Km. (Thikri to Anjad Road) (Tehsil-Anjad Bus-Lay) of the National Highway no. NH347B in the District-Barwani in the State of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH		District: BARWANI							
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)				
Taluk: Anjad									
Village: Fatyapur									
1	104 / 1	Private	Irrigated	0.0030000(Hectare )	0.0030000				
2	107 / 1	Private	Irrigated	0.0490000(Hectare )	0.0490000				
3	85 / 1	Private	Irrigated	0.0390000(Hectare )	0.0390000				
Village: Talwada Deb									
1	110 / 1	Private	Non Irrigated	0.0080000(Hectare )	0.0080000				
Total 0.0990									

[F. No CE-RO BPL/30010/06/2017-18/3A]

RAJESH GUPTA, Director